न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :– 94/2021

1. मोटाराम पुत्र रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासी सुरतसिंहपुरा तहः व जिला बीकानेर

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–30.6.23**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रार्थी अधिवक्ता मखनसिंह वगैरह द्वारा प्रस्तुत हुआ जिससे संबंधित संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि प्रार्थी के पिता रेवन्तराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सुरतसिंहपुरा तहः व जिला बीकानेर के नाम से आवंटनशुदा भूमि वाके राजस्व तहसील खाजूवाला का चक नं0 31 केवाईडी हाल चक 32 केवाईडी बी का मु0नं0 200/52 के किला नं0 3 ता 8, 14 ता 17, 25 में 8.04 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता रेवन्तराम का देहान्त दिनांक 05.01.2011 को हो चुका है तथा प्रार्थी अपने पिता का वारिस की हैसियत से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी के पिता ने उपरोक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत् राजस्व तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष प्रार्थनापत्र मय आवंटन आदेश व पहचान दस्तावेज की प्रति पेश किया। जिस पर राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ने नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया जिसपर पटवारी हल्का द्वारा गिरदावरी में रेवन्तराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सुरतसिंहपुरा का नोट लगा दिया। लेकिन गिरदावरी सम्वत् 2049 में प्रार्थी के पिता का नाम रेवन्तराम के स्थान पर खेताराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सुरतसिंहपुरा अंकित कर दिया गया जबकि मूल आवंटन आदेश में प्रार्थी के पिता का नाम रेवन्तराम पुत्र मूलाराम अंकित है। उसी अनुसार गिरदावरी में अंकित होना था। इसलिए गिरदावरी सम्वत् 2049 में सहवन से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर रेवन्तराम पुत्र मूलाराम दुरस्त करने योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन आदेश व पहचान दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम की जगह रेवन्तराम दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र में तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा शुद्धि के प्रार्थनापत्र के साथ आवंटन आदेश भी प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम रेंवतराम दर्ज है। इसके पश्चात प्रार्थी सबूत के तौर पर खसरा गिरदावरी सम्वत् 2044 पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम रेंवतराम है। इसके पश्चात की गिरदावरी सम्वत् 2049 जो प्रार्थी द्वारा पेश की गई है उसमें प्रार्थी का नाम खेताराम दर्ज हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने मूल आवंटन पत्रावली नकल पेश की जिसमें संलग्न आवंटन आदेश आदेश रेवन्तराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सुरतसिंहपुरा तहः बीकानेर अंकित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज(मूलआवंटन पत्रावली) व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम पुत्र मूलाराम की जगह रेंवतराम पुत्र मूलाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक नं0 31 केवाईडी हाल चक 32 केवाईडी बी का मु0नं0 200/52 के किला नं0 3 ता 8, 14 ता 17, 25 में 8.04 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम खेताराम पुत्र मूलाराम की जगह रेंवतराम उर्फ खेताराम पुत्र मूलाराम नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)